कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com
Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1372 / FP/UK/OFC/140824/2021 :देहरादूनः दिनांकः 03 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

श्री कुबेर सिंह बिष्ट,
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमांऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषयः–जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत खैरनापुल काकड़ी घाट सुयालबाड़ी तक मार्ग के किनारे O.F.C बिछाने हेतु विन्धिया टेलीकॉम्स लि0 को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–आपका पत्रांक 1087 / 12–1 दिनांक 20.11.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाईन दिनांक 30.11.2021 को एवं प्रस्ताव की 03 हार्ड प्रति आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा दिनांक 23.11.2021 को प्राप्त हुई है। आप द्वारा प्रस्तुत हार्ड प्रति के गहन अवलोकन करने के पश्चात निम्न प्रकार प्रस्ताव में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है:–

1. वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सक्षम स्तर से अधिकृत किये जाने वाले अधिकारी से सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अपेक्षित है।
2. प्रस्तावित मोटर मार्ग के किनारे–किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित Hand Book के पैरा 4.1 एवं 4.2 के अनुसार अपेक्षित Row की सूचना प्रस्ताव के संलग्न की जानी अपेक्षित है।
3. ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाने हेतु मोटर मार्गों के पूर्व में स्वीकृति पत्रों की प्रति प्रस्ताव में संलग्न करें।
4. प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न क्षेत्रों की संयुक्त निरीक्षण आख्या में (पृष्ठ संख्या 12 से 15 तक) परियोजना क्षेत्र के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।
5. प्रस्ताव में सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या सभी प्रपत्रों में ऊपर नीचे दोनो स्थानों पर अंकित की गयी है, जिससे प्रमाण पत्रों के अवलोकन करने में पृष्ठ संख्या की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पृष्ठ संख्या एक ही स्थान पर अकित की जाय।
6. राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण्य से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।
7. राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में हवाई दूरी अंकित नहीं की गयी है।
8. प्रस्ताव के संलग्न वनाअधिकार अधिनियम 1980 के सम्वन्धित ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में सम्बन्धित ग्राम पंचायत का नाम अंकित नहीं किया गया है।
9. स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण में प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट नही है का उल्लेख किया गया है, स्थिति स्पष्ट करें।

उक्त आपत्तियों के निराकरण करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी / प्रयोक्ता एजेन्सी को अपने स्तर से निदेशित करते हुये कमियों का पूर्ण निराकरण करवाकर हार्ड मूल प्रति सहित (03 प्रतियों में) ऑनलाईन / ऑफलाईन इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या :– 1372 / FP/UK/OFC/140824/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. M/s VINDHYA TELELINKS LIMITED, PLOT NO. IC & d, UDYOG VIHAR, P.O. CHORHATA, REWA-485006 को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर भली–भांति अवलोकन कर आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण.

Rohit PD Backup